न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—59 / 2017 (2017 / 00164) वाद पत्र

उनवान

1—मीयाचन्द मुतबन्ना गोकल जाट निवासी रालीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1—नाथु पिता हजारी जाट निवासी रालीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—सुवा पिता हजारी जाट निवासी रालीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा जरिये शाखा प्रबन्धक तह.रायपुर भीलवाड़ा
4—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता वादी
2. हरिश टेलर — अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 11.08.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रालीखेड़ा पटवार हल्का गलवा तहसील रायपुर में वादी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की साबिक आराजी संख्या 209 / 2मीन, 207 / 1मीन, 208 / 2मीन, 199 / 1मीन, 208 / 1मीन, 204 / 1ख, 203 / 2मीन, 209 / 2, 209 / 1, 208 / 2मीन, 202 / 1ख अन्य आराजियात के साथ स्थित थी। उक्त आराजियात पर वादी साबिक नक्शे के अनुरूप काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2047 से 2050 तक मय साबिक नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की साबिक आराजी संख्या 204 / 2मीन, रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा आराजी संख्या 206 मीन रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 207 / 2मीन रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि फिट थी उक्त साबिक आराजियात वादी के साबिक नम्बरो के पास ही स्थित थी। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 साबिक नक्शे के अनुरूप काबिज थे। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वर्तमान में इसी अनुसार मौके पर काबिज है तथा मौके पर दोनो के खेतो की सीमा सम्बधित मुश्तकिल निशानात बने हुए है। भू प्रबन्ध के दौरान ग्राम रालीखेड़ा का भी भू प्रबन्ध हुआ जिसमें वादी की साबिक आराजियात के नवीन नम्बर 435 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 436 रकबा 1.03 है0, आराजी संख्या 437 रकबा 1.02 है0, कायम हुए इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की साबिक आराजियात के नवीन नम्बर 405 रकबा 0.64 है0, आराजी संख्या 406 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 407 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 408 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 409 र[illegible] है0 [illegible] प्रमाण में नकल जमाबन्दी व मिलान क्षैत्रफल प्रस्तुत की है। भू प्रबन्ध अधिकारियो [illegible] कर्मचारियो को भू प्रबन्ध के दौरान राजस्व नक्शे को नवीन रूप से कायम [illegible] हेरफेर करने का कोई विधिक आदेश नही होते हुए भी वादी [illegible] के नवीन नक्शे को गलत रूप से कायम कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 [illegible] नक्शे को भी साबिक नक्शे के अनुरूप कायम नही कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नवीन आराजी संख्या 406 रकबा 0.19 है0 व आराजी संख्या 407 रकबा 0.07 है0, को नवीन नक्शे में वादी की आराजियात में फिट कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.08.14 18:18:31 IST
Reason: SelfAttested

दिया जबकि साबिक में प्रतिवादी की साबिक आराजियात 207/2 वादी की 207/1 के समीप स्थित थी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य आपस में नवीन नक्शे में फिट कर नवीन आराजियात के सम्बन्ध में आपस में सीमा सम्बधित विवाद होने लग गया प्रतिवादी वादी की कब्जेशुदा आराजियात में जबरन दखलदांजी करने लग गये। वादी साबिक नक्शे के अनुरूप ही नवीन नक्शा में इन्द्राज दुरस्ती की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः वादी की सादर प्रार्थना है कि इन्द्राज दुरस्ती की घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की फरमाई जावे कि वादी की नवीन आराजी संख्या 435, 436, 437 के नवीन नक्शे को साबिक नक्शे के अनुरूप कायम किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की साबिक आराजियात अनुरूप नवीन नक्शे में दुरस्ती कराई जाकर नवीन आराजी संख्या 406 व 407 को साबिक नक्शे अनुसार नवीन नक्शे में फीट कराया जावे। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 इस आशय की फरमाई जावे कि साबिक नक्शे के अनुरूप नवीन नक्शा तरमीम होने तक प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार दखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे वादी को शान्ति पूर्वक अपने कब्जे शुदा भूमि का उपयोग उपभोग करने देंवे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 13.09.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को समन जारी किये गये। समन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 फौरमल पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब में अंकन किया कि वाद पत्र की कलम नम्बर एक में अंकित तथ्य वादी को भुमियाँ स्थित होने का तथ्य है स्वीकार है किन्तु उक्त साबिक आराजियात के रकबे को अंकित नहीं किया गया है। सीमा सम्बन्धी विवाद वादी द्वारा करने से प्रतिवादी ने पत्थरगढी करवाई है। भु प्रबन्ध विभाग ने वादी के किसी भी भूमि के नवीन नम्बर को गलत रूप से कायम नहीं किया है। प्रतिवादीगण के नक्शे को साबिक नम्बरो के अनुरूप ही कायम किया गया है। प्रतिवादीगण की आराजी संख्या 406, 407 को नवीन नक्शे में वादी की आराजियात में फीट नही किया गया है। साबिक नक्शे अनुसार ही नवीन नक्शा तरमीमात कर रखा है दिनांक 20.02.2018 ने वादी ने बीच के डोल को ढसा कर प्रतिवादीगण को आराजी संख्या 406 व 407 पर बलात् कब्जा कर लिया व जबरन सीमा सम्बन्धी विवाद बता दिया। मजीद कथन के रूप में निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण की साबिक आराजियात सभी मूल नम्बरान के विभाजन होकर टुकड़े होकर अलग अलग इन्ही साबिक नम्बरान के बटा नम्बर कायम किये गये है। वादी की साबिक आराजी संख्या 207/1 व प्रतिवादीगण की साबिक आराजी संख्या 207/2 एक ही मूल नम्बर 207 के ही बने है व विभाजन से अलग अलग टुकड़े हुए है जिससे पास पास स्थित तो है मगर गलत फीट कैसे किया स्पष्ट नही किया गया। वादी ने प्रतिवादीगण की आराजी संख्या 406, 407, 408 पर दिनांक 20.02.2018 को डोल ढसाकर आधिपत्य कर लिया जिससे प्रतिवादीगण ने पत्थरगढ़ी करवाई जो कब्जा वादी का आया जिससे प्रति[illegible] धारा 183 के तहत् श्रीमान् के यहां प्रकरण प्रस्तुत कर कब्जा पुनः [illegible] इसकी जानकारी वादी को होने पर वाद को लम्बा करने की गरज [illegible] गलत [illegible]धारो पर पेश किया है जो खारीज होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.08.14 18:18:31 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से [illegible] रिपोर्ट ली गई जो शामिल पत्रावली है तहसीलदार रायपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकन किया कि वादीगण की कृषि आराजियात

406, 407, 408, 409, 435, 436, 437 का मौका निरीक्षण किया गया जिसमें आराजी संख्या 406, 407 408, 409 खातेदार नाथु सुवा पिता हजारी जाट के नाम दर्ज रेकार्ड है। आराजी संख्या 435, 436, 437 वादी के नाम दर्ज है। आराजी संख्या 406 एवं 407 वादी खातेदार मियाचन्द पिता गोकल जाट के कब्जे में है। आराजी संख्या 406, 407 वादी की भूमि के साथ तरमीम करने से नक्शे की आकृति विकृत हुई है।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई

वादी अधिवक्ता द्वारा वाद में वर्णित तथ्यो को दाहराते हुए बहस की गई और अन्त में यह कहा कि अगर वादी का कब्जा वादी के नाम दर्ज भूमि के रकबे से अधिक होकर प्रतिवादी की आराजियात पर कब्जा है तो उसको राजस्व नक्शे में आराजी संख्या 435, 436 की दक्षिणी मेड़ के सहारे सहारे ऐ सीध में तरमीम कराई जावे ताकि नक्शे में एकरूपता बनी रहे।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया कि प्रतिवादी के नाम आराजी संख्या 406, 407 राजस्व रेकार्ड में दर्ज है वो रकबा प्रतिवादी को दिलाया जावे।

मैने पत्रावली में उपलब्ध साबिक एवं नवीन रेकार्ड का अवलोकन किया तो पाया कि वादीगण के नाम साबिक रेकार्ड में 15 बीघा जमीन दर्ज रेकार्ड थी जिसके भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जो नवीन नम्बर कायम किये गये वो साबिक रकबे के मुकाबले 3.24 है0 भूमि नवीन रेकार्ड में दर्ज होनी चाहिये जो वादी के नाम दर्ज आराजी 435, 436, 437 नवीन नम्बर बने जिसका रकबा 3.24 है0 दर्ज किया गया है जो साबिक रकबा के समानुपात है। प्रतिवादी के नाम साबिक रेकार्ड में 12 बीघा 12 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड थी जिसके भू प्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन नम्बर कायम किये गये वो साबिक रकबे के मुकाबले तो सही है परन्तु मौके पर आराजी संख्या 406, 407 को वादी की खातेदारी भूमि के समान्तर दर्ज नही कर बीच में दर्ज कर दिये गये है जो वादी के कब्जे में है। उक्त दोनो नम्बर का रकबा वादी के पास अपने नाम दर्ज रकबे से ज्यादा रकबा पर कब्जा है। वादी द्वारा चाही गई सम्पूर्ण सहायता स्वीकार नही होकर वादी की दक्षिणी मेड़ के समान्तर प्रतिवादी की आराजियात तरमीम करने की सीमा तक वाद स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रालीखेड़ा पटवार हल्का गलवा के बैरून हल्का आबादी में स्थित वादी की खातेदारी आराजी संख्या 436 की दक्षिणी मेड़ के सहारे सहारे पूर्व से पश्चिम तक उक्त आराजी संख्या 406 रकबा 0.19 है0 की तरमीम की जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11.08.2021

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.08.14 18:18:31 IST
Reason: SelfAttested

सुन्दरलाल बम्बोड़ा
कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
सपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–59 / 2017 (2017 / 00164) वाद पत्र

उनवान

1–मीयाचन्द मुतबन्ना गोकल जाट निवासी रालीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1–नाथु पिता हजारी जाट निवासी रालीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–सुवा पिता हजारी जाट निवासी रालीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा जरिये शाखा प्रबन्धक तह.रायपुर भीलवाड़ा
4–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रालीखेड़ा पटवार हल्का गलवा के बैरून हल्का आबादी में स्थित वादी की खातेदारी आराजी संख्या 436 की दक्षिणी मेड़ के सहारे सहारे पूर्व से पश्चिम तक उक्त आराजी संख्या 406 रकबा 0.19 है0 की तरमीम की जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 11.08.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

11.08.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.08.14 18:18:31 IST
Reason: SelfAttested